इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40 रुपए

(आईएसओ 9000-2015 द्वारा प्रमाणित)

IIBF VISION

Committed to professional excellence

खंड संख्या 14 | अंक संख्या 9 | अप्रैल, 2022 | पृष्ठों की संख्या - 10

विजन:

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ ---------- 2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ---------- 2
बैंकिंग जगत की घटनाएँ ---------- 3
विनियामक के कथन---------- 4
आर्थिक संवेष्टन ---------- 5
नयी नियुक्तियाँ---------- 6
विदेशी मुद्रा---------- 6
शब्दावली---------- 6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी -------- 7
संस्थान समाचार ---------- 7
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां---------- 8
नयी पहलकदमी ---------- 9
बाजार की खबरें ---------- 9

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फिएचर फोन प्रयोक्ताओं को यूपीआई123 पे दिये जाने का प्रस्ताव

भारत में 40 करोड़ फिएचर फोन प्रयोक्ता अब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरंभ की गई यूपीआई123पे सुविधा के जरिये एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ (UPI) भुगतानों के लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यूपीआई123पे तक अंत: क्रियाशील ध्वनि प्रत्युत्तर (IVR) - एक ऐप-आधारित कार्यात्मकता, एक ध्वनि-आधारित आरूप तथा मिस्ड कालों की संख्याओं के माध्यम से पहुंचा जा सकता है।

इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा टोल फ्री नंबरों के साथ एक ऐसी समर्पित एवं अंत: क्रियाशील हेल्पलाइन ''डिजिसाथी'' (Digisathi) आरंभ किए जाने के फलस्वरूप डिजिटल भुगतान परिवाद निवारण व्यवस्था को भी बढ़ावा मिला है जिसका उपयोग लोग उत्तर प्राप्त करने अथवा कार्डों सहित डिजिटल भुगतानों के संबंध में परिवाद निवारण करवाने हेतु कर सकते हैं। वर्तमान में, डिजिसाथी अंग्रेजी और हिन्दी में उपलब्ध है, किन्तु वह शीघ्र ही महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध करा दी जाएगी।

मूलभूत सुविधा एवं विकास के वित्तीयन हेतु राष्ट्रीय बैंक का विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अधीन एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्था के रूप में किया जाएगा

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मूलभूत सुविधा एवं विकास के वित्तीयन हेतु राष्ट्रीय बैंक (NaBFID) को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अधीन एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्था (AIFI) के रूप में विनियमित और पर्यवेक्षित किया जाएगा। भारत में दीर्घावधिक मूलभूत सुविधा वित्तीयन के विकास को समर्थन प्रदान करने हेतु एक विकासपरक वित्तीय संस्था (Development Financial Institution) के रूप में स्थापित यह संस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (EXIM BANK), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के बाद पाँचवी अखिल भारतीय वित्तीय संस्था होगी।

वैकल्पिक निवेश निधियों और उद्यम पूंजी निधियों में बैंक निवेशों को सममूल्य पर माना जाएगा

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह विनिर्दिष्ट किया है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वैकल्पिक निवेश निधियों (AIFs) श्रेणी I और II में निवेश को वही विवेकसम्मत निरूपण प्राप्त होगा जैसा कि उद्यम पूंजी निधियों (VCFs) में उनके निवेश को प्राप्त होता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह विनिर्दिष्ट किया है कि इन निवेशों के मूल्य-निर्धारण के लिए बैंक के पोर्टफोलियो में उद्धृत इक्विटी शेयरों/ बाँड़ों/ उद्यम पूंजी निधियों की यूनिटों के बाजार मूल्य को दैनिक (अथवा कम से कम साप्ताहिक आधार) पर (Marked to market किया) दर्शाया जाना चाहिए। अनुद्धृत शेयरों/बाँड़ों/ उद्यम पूंजी निधियों की यूनिटों को तीन वर्ष पूरे हो जाने के बाद परिपक्वता तक धारित (HTM) श्रेणी से बिक्री के लिए उपलब्ध (AFS) श्रेणी में अंतरित किया जाए। उस समय उनका मूल्य-निर्धारण भिन्न रूप से किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बेंगलूरू में नवोन्मेष हब की शुरूआत की

रिजर्व बैंक नवोन्मेष (Innovation) हब की शुरूआत इन्फोसिस के पूर्व प्रमुख श्री क्रिस गोपालकृष्णन की अध्यक्षता में बेंगलूरू में कर दी गई है। 100 करोड़ रुपए की प्रारम्भिक पूंजी के साथ कंपनी अधिनियम के तहत धारा 8 कंपनी के रूप में स्थापित रिजर्व बैंक नवोन्मेष हब ((RBIH) का मुख्य ध्येय एक संस्थागत ढांचे के जरिये वित्तीय नवोन्मेष को प्रोत्साहित करना है।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

शहरी सहकारी बैंकों को छत्र संगठनों की तुलना में निवेश सीमा से छूट दी गई

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को छत्र संगठनों (umbrella organisations) में उनके निवेशों में 10% की सीमा से छूट प्रदान कर दी गई है।

पूर्ववर्ती मानदंडों में यह निर्धारित था कि शहरी सहकारी बैंक गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (Non-SLR) प्रतिभूतियों में पिछले वर्ष की अपनी कुल जमाराशियों के केवल 10% तक का निवेश कर सकते हैं। गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश भी किसी भी समय कुल गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात के 10% से अधिक नहीं हो सकते। शीर्ष बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों को इन दोनों ही विनियमनों से मुक्त कर दिया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त ऋणों के लिए पात्रता मानदंड बढ़ाए, ब्याज सीमा हटाये

3 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले किसी परिवार को सूक्ष्म वित्त ऋणों के पात्रता मानदंड अब बढ़ा दिये गए हैं तथा उन पर ब्याज की कोई सीमा नहीं है। तदनुसार, ऐसे परिवारों को दिये गये संपार्श्विक–रहित ऋण को अब सूक्ष्म वित्त ऋण माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म वित्त ऋणों की परिवर्तित परिभाषा को ध्यान में रखते हुये भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को उनके पोर्टफोलियो को विविधीकृत करने तथा परिपक्व ग्राहकों को अपेक्षाकृत बड़े ऋण देने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी –सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (NBFC-MFIs) के कुल आस्ति पोर्टफोलियो में सूक्ष्म वित्त ऋणों की न्यूनतम आवश्यकता को पूर्ववर्ती 85% से घटाकर 75% कर दिया है। ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में अर्हताप्राप्त नहीं हैं, उन्हें अब पूर्ववर्ती 10% के समक्ष इनकी कुल आस्तियों के 25% तक ऋण सूक्ष्म वित्त ऋण देने की अनुमति है।

बैंक मार्च, 2023 तक एटीएमों में नयी नकदी पुन: पूर्ति प्रणाली कार्यान्वित करेंगे

एटीमों में नकदी पुन: पूर्ति की वर्तमान प्रणाली को समाप्त करते हुये भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से इस उद्देश्य के लिए मार्च, 2023 तक केवल रोधनयोग्य (lockable) कैसेटों का उपयोग आरंभ करने के लिए कहा है। यह बैंकों को दी गई एक विस्तारित

समय-सीमा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से उक्त विस्तारित समय-सीमा का पालन करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक आंतरिक समय-सीमा निर्धारित करने और तिमाही रिपोर्टें प्रस्तुत करने हेतु कहा है। बैंकों के बोर्डों से इसका विहित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रगति पर निगरानी रखने के लिए कहा गया है।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने छोटे लेनदेनों के लिए यूपीआई लाइट की शुरूआत की

बैंकिंग प्रणाली पर दबाव में कमी लाने तथा छोटे लेनदेनों को आसान बनाने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ (UPI) प्रयोक्ताओं के लिए ''आन डिवाइस'' वैलेट फिएचर की शुरूआत की है। यूपीआई लाइट नाम से ज्ञात उक्त फिएचर अपने पहले चरण में नियर आफ़लाइन मोड में छोटी रकम वाले यथा नामे (debit) आफ़लाइन और जमा (credit) आफ़लाइन लेनदेनों को संसाधित करेगी। आगे चलकर, यह लेनदेनों को पूर्णत: आफ़लाइन मोड में यथा नामे और जमा दोनों ही आफ़लाइन संसाधित करेगी। यूपीआई लाइट किसी भी लेनदेन के लिए 200 रुपए की उपरि सीमा सहित आती है, जिसमें किसी ''आन डिवाइस'' (on device) वैलेट के लिए यूपीआई लाइट ई-बैलेंस (E-balance) की कुल सीमा किसी भी समय-बिन्दु पर 2000 रुपए रखी गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जियोटैगिंग पेमेंट टच की सलाह दी गई

भारतीय रिजर्व बैंक चाहता है कि वाणिज्यिक बैंक और बैंकेतर भुगतान प्रणाली प्रचालक (PSO) पेमेंट टच प्वाइंटों (payment touch points) को जियोटैग (geotag) करें।

जियोटैगिंग से आशय है व्यापारियों द्वारा अपने ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करने के लिए परिनियोजित पेमेंट टच प्वाइंटों के भौगोलिक समन्वयों (अक्षांश और देशांतर) को प्रगृहीत करना। यह डिजिटल भुगतानों की क्षेत्रीय पैठ के संबंध में अंतर्दृष्टियाँ प्रदान कर सकता है, विभिन्न स्थानों पर मौजूद मूलभूत सुविधा के घनत्व (density) पर निगरानी रख सकता है अतिरिक्त पेमेंट टच प्वाइंटों को परिनियोजित किए जाने की गुंजाइश की पहचान कर सकता है तथा संकेंद्रित डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को सुगम बना सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्यात ऋण की विस्तारित ब्याज समकारी योजना के लिए दिशानिर्देश जारी किए

सरकार द्वारा निर्यात ऋण के लिए ब्याज समकारी योजना को मार्च, 2024 तक बढ़ा दिये जाने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने उसके लिए आशोधित मानदंड जारी कर दिए हैं। तदनुसार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) विनिर्माता निर्यातकों को छोडकर छः एचएस (सुसंगत प्रणाली) लाइनों वाले दूरसंचार उपकरण क्षेत्र इस योजना के क्षेत्र से बाहर होंगे।

उक्त योजना के अधीन संशोधित ब्याज समकारी दरें अब किसी भी एचएस लाइन के तहत निर्यात करने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विनिर्माता निर्यातकों के लिए 3% तथा (दूरसंचार क्षेत्र की 6 एचएस लाइनों को अलग कर दिये जाने के बाद) 410 एचएस लाइनों के तहत निर्यात करने वाले विनिर्माता निर्यातकों और व्यापारी निर्यातकों के लिए 2% होंगी।

बैंकों से 1 अक्तूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के लिए उक्त योजना के अनुसार पात्र निर्यातकों की पहचान करने, उनके खातों में ब्याज समकारी की पात्र रकम जमा करने तथा उक्त अवधि के लिए 30 अप्रैल, 2022 तक भारतीय रिजर्व बैंक को एक सेक्टर-वार समेकित प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

विनियामक के कथन

मौद्रिक नीति समिति मूल्य स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध : भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने कहा है कि मौद्रिक नीति समिति (MPC) निभावपरक रुख को जारी रखते हुये मूल्य स्थिरता के अपने प्राथमिक अधिदेश के प्रति प्रतिबद्ध बना हुआ है। यह रुख विकसित देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा अत्यधिक ढीली मौद्रिक नीति वाली एक दीर्घकालिक अवधि के बाद उच्च मुद्रास्फीति के कारण अपेक्षाकृत कठोर मौद्रिक नीति अपनाए जाने के बावजूद कायम है।

श्री दास ने इस बात का उल्लेख किया कि अन्य केंद्रीय बैंकों की तुलना में भारतीय रिजर्व बैंक वक्र से आगे है। उसने कोविड-19 वैश्विक महामारी द्वारा उपस्थित किए गए जोखिमों से निपटने के लिए परंपरागत नीति वाले दायरे के समाप्त होने के पहले ही गैर-परंपरागत उपाय आरंभ कर दिये थे।

श्री दास ने कहा कि कई एक प्रमुख अर्थ्व्यवस्थाओं को आपूर्ति संबंधी रुकावटों, अपेक्षाकृत कठोर श्रम बाज़ारों, ठीक समय पर इनवेंटरी प्रबंधन की भंगुरता तथा भौगोलिक-राजनीतिक बाधाओं के कारण बहु-दशकीय उच्च मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ रहा है। अतएव, उनके केन्द्रीय बैंक जोखिमों को न्यूनीकृत करने के लिए अपनी नीतिगत कार्रवाइयों की तुलना में कठिन स्थिति से गुजर रहे हैं। यदि वे उस मुद्रास्फीति, जो स्थित के सामान्य होने पर घट सकती है, को रोकने के लिए आक्रामक रूप से कार्रवाई करते हैं, तो उन्हें मंदी को आमंत्रित करने का जोखिम उठाना पड़ सकता है। दूसरी ओर यदि वे अत्यधिक मामूली और अत्यधिक विलंबित कार्रवाई करते हैं, तो वे वक्र से पीछे रहच सकते हैं, इसप्रकार वृद्धि खतरे में पड़ जाएगी।

इसके साथ ही श्री दास ने सम्प्रेषण के महत्व को रेखांकित किया तथा यह भी बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति के एक अंग के रूप में सम्प्रेषण को अद्यतन रखने के लिए प्रेस सम्मेलनों, व्याख्यानों तथा नीति निर्धारण के उपरांत नीतिगत वक्तव्यों जैसे विभिन्न प्रकार के साधनों का किस प्रकार उपयोग करता है।

भारतीय रिजर्व बैंक वृद्धि के पूर्वानुमानों की समीक्षा कर सकता है : उप गवर्नर श्री माइकल पात्रा

हाल के भौगोलिक-राजनीतिक तनावों द्वारा पूर्ववर्ती पूर्वानुमानों पर प्रस्तुत ऊर्ध्वगामी जोखिम की पृष्ठभूमि में भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री माइकल पात्रा ने आश्वस्त किया है कि शीर्ष बैंक अप्रैल में अपने मौद्रिक नीति वक्तव्य में मुद्रास्फीति का गंभीरता से मूल्यांकन करेगा।

मूल्य-स्थिरता पर मौद्रिक नीति के संकेन्द्रण और कीमतों को नियंत्रित रखने के संबंध में सरकार की अनुक्रिया भारत को कठिन स्थिति से बाहर निकालेगी। पात्रा को आशा है कि भारत की वृद्धि कमजोर बनी रहेगी जैसी कि वह 2013 वाले टेपर टेन्ट्रम के दौरान थी। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव के कारण पुनरुत्थान के प्रभावित होने की आशा है।

वे स्पष्ट करते हैं कि जहां मौद्रिक नीति में हमेशा घरेलू अभिमुखीकरण रहता है, उसके प्रभाव उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर अपना-विस्तार (spill-over) करते हैं और तदुपरान्त सर्वांगी महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं पर वापस (spill-back) आ जाते हैं। भारत के बाह्य क्षेत्र को

वैश्विक प्रभाव-विस्तारों से कुछ हद तक प्रभावित होना पड़ेगा। पात्रा चेतावनी देते हैं कि अधिक गंभीर खतरे उन प्रभाव-विस्तारों से पैदा होते हैं जो इसके पहले परिलक्षित नहीं हुये थे। चूंकि युद्ध के बाद जिंसों की कीमतें आसमान छूने लगती हैं, मुद्रास्फीति परिवारों के खर्च को गर्त में पहुंचा सकती है, इसप्रकार वैश्विक मंदी के जोखिम को गहन बना सकती है।

अनुपालन, जोखिम प्रबंधन, लेखा-परीक्षा - बैंकों की तीन कमजोरियाँ : भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर

भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम॰ के॰ जैन ने कहा है कि हाल के वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षी कार्यों में उसके द्वारा विनियमित संस्थाओं/कंपनियों में तीन कमजोरियाँ पाई गई हैं। ये कमजोरियाँ हैं : अनुपालन, जोखिम प्रबंधन और आंतरिक लेखा-परीक्षा।

उन्होंने कहा कि ''गैर-अनुपालन के अन्वेषण एवं रिपोर्टिंग में विफलता/विलंब, चिरस्थाई अवर-औसत अनुपालन, अपर्याप्त सुरक्षा के संबंध में अनुपालन परीक्षण में कमियाँ तथा सीमित लेनदेन परीक्षण, मूल कारणों का निवारण न किए जाने के कारण चिरस्थाई अनियमितताएँ और अनुपालन की वहनीयता न सुनिश्चित किया जाना जैसी कमियाँ देखने में आईं।''

इसके अतिरिक्त, कई एक मामलों में अनुपालन ढांचे को स्टाफ की अपेक्षित संख्या एवं गुणवत्ता के साथ साधन-सम्पन्न नहीं बनाया गया था।

बोर्ड द्वारा यथा-अनुमोदित जोखिम वहन-क्षमता (risk appetite) और वास्तविक व्यावसायिक रणनीति एवं निर्णयन के बीच विसंयोजन की मौजूदगी। वरिष्ठ प्रबंधन से मार्गदर्शन के अभाव में कमजोर जोखिम संस्कृति प्रवर्धित हुई। अनुपयुक्त जोखिम मूल्यांकन तथा जोखिम नीतियों के पुनरावर्तित अपवाद अनियंत्रित बने रहे। विशेष रूप से संबन्धित पक्षकारों के लेनदेनों में हितों के टकराव के साक्ष्य और त्रुटिपूर्ण उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन या उसका अभाव भी परिलक्षित हुये।

जहां तक आंतरिक लेखा-परीक्षा का संबंध है लेखा-परीक्षा प्रक्रिया अनियमितताओं का पता लगाने में असमर्थ रही। लेखा-परीक्षा के विषय-क्षेत्र में आने वाले कुछेक क्षेत्रों का समावेश न होने के उदाहरण मिले। अनुपालन एवं लेखा-परीक्षा एक-दूसरे से सहयोग करते नजर नहीं आए।

आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तैयार की गई मासिक आर्थिक रिपोर्ट फरवरी, 22 के अनुसार कुछेक मुख्य आर्थिक संकेतकों के कार्य-निष्पादन इसके नीचे दर्शाये गए हैं :

- 2021-22 की तीसरी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में वर्षानुवर्ष वृद्धि 5.4% रहने का अनुमान है।
- फरवरी, 2022 के लिए मासिक थोक मूल्य सूचकांक (WPI) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) क्रमश: 13.1% और 6.1% पर रहे।
- जनवरी, 2022 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में वर्षानुवर्ष 1.3% की वृद्धि दर्ज हुई।
- जनवरी, 2022 में आठ प्रमुख उद्योगों (ECI) का सम्मिलित सूचकांक 3.7% की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज करते हुये 144.4% रहा।
- फरवरी, 2022 में पीएमआई विनिर्माण के अनुसार भारत की विनिर्माण गतिविधि में पुनरुत्थान हुआ तथा वह 54.9% रही। फरवरी, 2022 में पीएमआई सेवा जनवरी, 2022 से सीमांत रूप से बढ़कर 51.8% हो गई।
- फरवरी, 2022 में व्यापारिक निर्यात का कार्य-निष्पादन वर्षानुवर्ष 25.1% की दर से बढ़ते हुये निरंतर आघात-सह बना रहा। दूसरी ओर फरवरी, 2022 में व्यापारिक आयात वर्षानुवर्ष 36.1% बढ़ा।
- आपूर्ति पक्ष में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में वास्तविक योजित सकल मूल्य (GVA) क्रमश: 2.6%, 2.0% और 32.6% रहा।
- मांग पक्ष में वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही में उपभोग, निवेश, निर्यात और आयात पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के मुक़ाबले क्रमश: 6.5%, 2.0% और 32.6% बढ़े।
- फरवरी, 2022 के दौरान (जनवरी के लेनदेनो को प्रतिबिम्बित करने वाली) माल और सेवा कर (GST) वसूली 1.33 लाख करोड़ रुपए रही, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 18% के दोहरे अंक की वृद्धि दर्शाती है।

नयी नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम
नितिन चुघ	उप प्रबंध निदेशक एवं प्रमुख (डिजिटल बैंकिंग), भारतीय स्टेट बैंक
कृष गोपालकृष्णन	अध्यक्ष, रिजर्व बैंक नवोन्मेष हब

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	25 मार्च, 2022 के दिन करोड रुपए	25 मार्च, 2022 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	4707396	617468
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4195294	550454
1.2 सोना	329562	43241
1.3 विशेष आहरण अधिकार	143446	18821
1.4 अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	39094	5132

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

2022 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों के लिए वैकल्पिक संदर्भ दरों (ARRs) की आधार दरें

मुद्रा	दरें	मुद्रा	दरें
अमरीकी डालर	0.28	स्विस फ्रैंक	-0.700303
जीबीपी	0.6907	न्यूजीलैंड डालर	1.00
यूरो	-0.579	स्वीडिश क्रोन	-0.107
जापानी येन	-0.004	सिंगापुर डालर	0.5117
कनाडाई डालर	0.4500	हांगकांग डालर	0.02437
आस्ट्रेलियाई डालर	0.10	म्यामार रुपया	1.75

शब्दावली

वैकल्पिक निवेश निधियाँ

वैकल्पिक निवेश निधियों अथवा एआईएफ से आशय है भारत में स्थापित या निगमित कोई भी ऐसी निधि जो निजी तौर पर एकत्रित (pooled) एक ऐसी निवेश संस्था (vehicle) होतो है जो उत्कृष्ट निवेशकों, चाहे वे भारतीय हों या विदेशी से निधियाँ अपने निवेशकों के लाभार्थ किसी निर्धारित निवेश नीति के अनुसार निवेश करने हेतु संग्रहीत करती है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

असामान्य प्रतिलाभ दर

असामान्य प्रतिलाभ दर अथवा अल्फा किसी शेयर/स्टाक अथवा पोर्टफोलियो द्वारा एक समयावधि में सृजित वह प्रतिलाभ होती है जो उसके बेंचमार्क द्वारा सृजित प्रतिलाभ या प्रतिलाभ की अपेक्षित दर से अधिक होती है। यह किसी जोखिम-समायोजित आधार पर कार्य-निष्पादन का माप होती है। किसी निवेश का असामान्य प्रतिलाभ धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है।

आर (R) = आर (R) - आर (R)
असमान्य वास्तविक सामान्य

संस्थान समाचार

जेएआईआईबी/डीबीएफ/एसओबी- जून,2022 के लिए पंजीकरण का स्थगन

जेएआईआईबी/डीबीएफ/एसओबी- जून,2022 परीक्षा के लिए पंजीकरण अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/सीएआईआईबी/सीएआईआईबी चयनात्मक विषयों में पुन: परीक्षा

ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो कोविड-19 से प्रभावित हो गए थे/परीक्षा वाली तिथियों को चुनाव की ड्यूटी पर प्रतिनियुक्त किए गए थे, पुन: परीक्षा 9, 23 और 24 अप्रैल, 2022 को रखी गई है। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षाओं –अप्रैल- मई, 2022 (तिमाही) का कार्यक्रम

परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षाओं –अप्रैल- मई, 2022 (तिमाही) का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

जीएआरपी-एफआरआर पंजीकरण सुविधा

जीएआरपी, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से वित्तीय जोखिम एवं विनियमन (FRR) पाठ्यक्रम हेतु पंजीकरण सुविधा 1 अप्रैल, 2022 से 15 अप्रैल, 2022 तक उपलब्ध है। पंजीकरण के लिए कृपया https:/iibf.esdsconnect.com/Garp exam देखें। उक्त पाठ्यक्रम के बारे में अधिक विवरण के लिए कृपया https:/www.iibf.org,in/iib internationalcollab.asp देखें।

उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम 2022-23 की शुरूआत

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम के 11वें बैच की घोषणा करता है। 10 महीनों की अवधि में पूरा होने वाला यह कार्यक्रम कार्यरत कार्यपालकों के लिए तैयार किया गया है तथा इसमें बैंकिंग एवं वित्त के विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है। यह आनलाइन मोड में सप्ताहांत में संचालित सत्रों सहित एक संकर/मिश्रित कार्यक्रम हाइ और बीच-बीच में विसर्जन कार्यक्रमों की व्यवस्था हाइ। सत्रों का संचालन उद्योग और शैक्षिक क्षेत्र के विशेषज्ञ संकाय सदस्यों किया जाता है। पंजीकरण सुविधा अप्रैल, 2022 के अंतिम सप्ताह में उपलब्ध होगी। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

आईआईबीएफ ने बैंकिंग एंड फाइनैन्स इयरबुक का विमोचन किया

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स ने दिसंबर, 2021 तक अद्यतन की हुई '' बैंकिंग एंड फाइनैन्स इयरबुक'' का विमोचन किया। यह सभी महत्वपूर्ण घटनाओं, प्रवृत्तियों, विशेषज्ञों के विचारों और बैंकिंग एवं वित्त के विषय-क्षेत्र के विभिन्न कार्य-क्षेत्रों में हुये विनियामक परिवर्तनों की एक ऐसी व्यापक सार-पुस्तिका है जिसमें पाठक को हितकर वाचन अनुभव दिलाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिये गए महत्वपूर्ण व्याख्यानों के उद्धरणों, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के जर्नल बैंक क्वेस्ट में प्रकाशित चुनिन्दा लेखों का समावेश है। उक्त पुस्तक पेपरबैक के रूप में और एक उद्दीपक (kindle) संस्करण, दोनों ही रूपों में अमैजान पर उपलब्ध है। यह पुस्तक हमारे प्रकाशक मैसर्स टैक्समैन पब्लिकेशन्स (प्राइवेट) लिमिटेड के खुदरा बिक्री केन्द्रों पर भी उपलब्ध है।

प्रमाणित बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शुरूआत

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स (IIBF) ने भारतीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (National Institute of Securities Markets) और राष्ट्रीय बीमा अकादमी (NIA) के सहयोग से 11 फरवरी, 2022 को प्रमाणित बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा (BFSI) व्यावसायिक पाठ्यक्रम की प्रौद्योगिकीय विधि से शुरूआत की। यह पाठ्यक्रम अनूठा एवं बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र में आजीविका अपनाने की इच्छा रखने के आकांक्षियों को उपलब्ध कराई जाने वाली अपने ढंग की एक विशिष्ट पहलकदमी है। यह 9 महीनों की अवधि में पूरा किए जाने वाला 187 घंटों का एक ई-शिक्षण कार्यक्रम है। उदघाटन भाषण संबन्धित संस्थानों के पदाधिकारियों द्वारा दिये गए तथा विशेष व्याख्यान भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यपालक श्री सुनील मेहता और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री सत्यजीत त्रिपाठी द्वारा दिये गए। उक्त कार्यक्रम में महाविद्यालयों और बैंकरों की अच्छी-ख़ासी संख्या में उपस्थिति रही।

जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी - संशोधित पाठ्यक्रम की शुरूआत

घटनाओं से सामंजस्य बनाए रखने तथा इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फ़ाइनैन्स द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे मुख्य पाठ्यक्रमों में अधिकाधिक मूल्य-योजन सुनिश्चित करने के लिए जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी के पाठ्यक्रमों को अधिक संकल्पनात्मक एवं सम-सामयिक बनाए रखने के लिए उन्हें पुनरसंरचित कर दिया गया है। संशोधित पाठ्यक्रमों के अधीन जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी परीक्षाएँ नवंबर/दिसंबर, 2022 और उसके बाद अथवा किसी भी स्थिति में अधिकतम मई/जून, 2023 से आयोजित किए जाने का अस्थाई तौर पर निर्णय लिया गया है। पुराने पाठ्यक्रम (वर्तमान पाठ्यक्रम) के अनुसार जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी के अधीन अंतिम परीक्षाएँ नवंबर/ दिसंबर, 2022 के दौरान आयोजित की जाएंगी जिसके बाद उन्हें बंद कर दिया जाएगा।

मई/जून, 2023 के बाद से जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी परीक्षाएँ केवल संशोधित पाठ्यक्रमों के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

आगामी अंक के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तु

बैंक क्वेस्ट के अप्रैल - जून, 2022 तिमाही के लिए के आगामी अंक हेतु विषय-वस्तु है: "Embedding ESG (Environmental, Social and Governance) into Banks' strategy"

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने-आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/ दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि (i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2022 से जुलाई, 2022 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक//कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 2021 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा। (ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2022 से जनवरी, 2023 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2022 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

अप्रैल माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
बैंकों में जोखिम प्रबंधन	11 से 12 अप्रैल, 2022	प्रौद्योगिकी पर आधारित
व्यापार वित्त (आस्थगित गारंटियां, एसएलबीसीज और व्यापार ऋण- घरेलू एवं विदेशी दोनों)	12 से 13 अप्रैल, 2022	

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
अपने ग्राहक को जानिए, धन शोधन निवारण और आतंकवाद के वित्तीयन का मुक़ाबला	12 से 13 अप्रैल, 2022	प्रौद्योगिकी पर आधारित
प्रमाणित ऋण व्यावसायिक	16 से 18 अप्रैल, 2022	
वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रमाणपत्र	20 से 22 अप्रैल, 2022	
आंतरिक लेखा-परीक्षक	25 से 26 अप्रैल, 2022	
मूल ऋण विश्लेषण	25 से 26 अप्रैल, 2022	
तुलनपत्र वाचन और अनुपात विश्लेषण	25 से 27 अप्रैल, 2022	
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ऋण	26 से 28 अप्रैल, 2022	

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

बाजार की खबरें

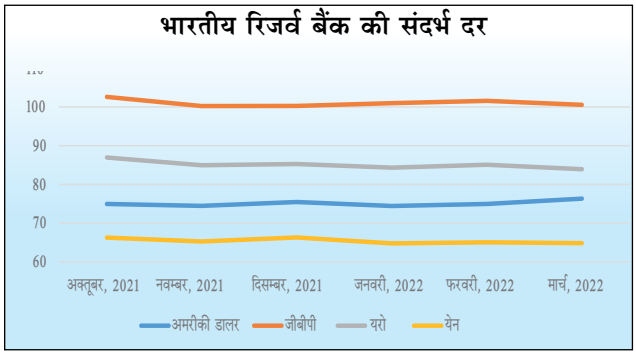

स्रोत: एफबीआईएल

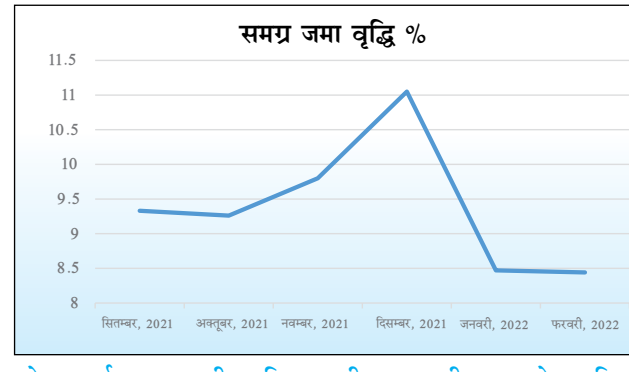

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समशोधन निगम लिमिटेड, मार्च, 2022

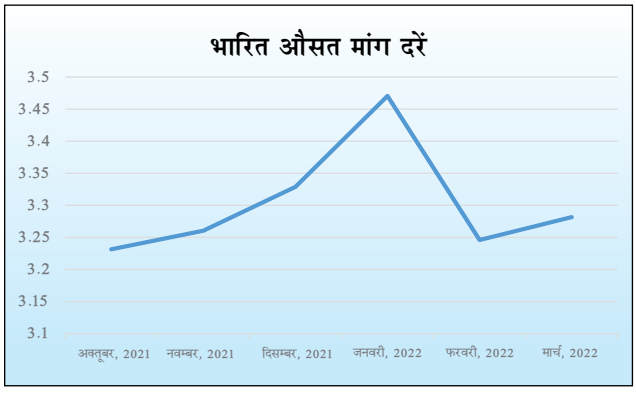

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

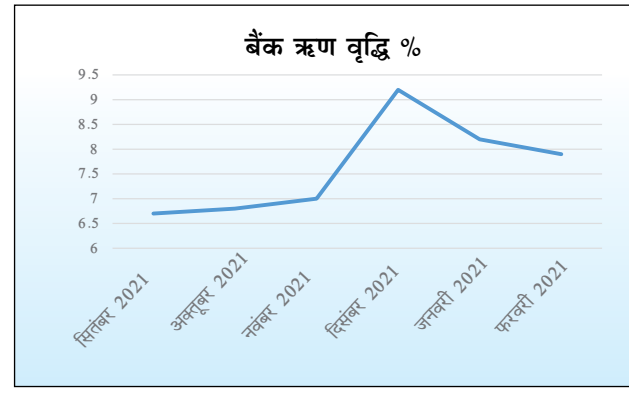

स्रोत भारतीय रिजर्व बैंक

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

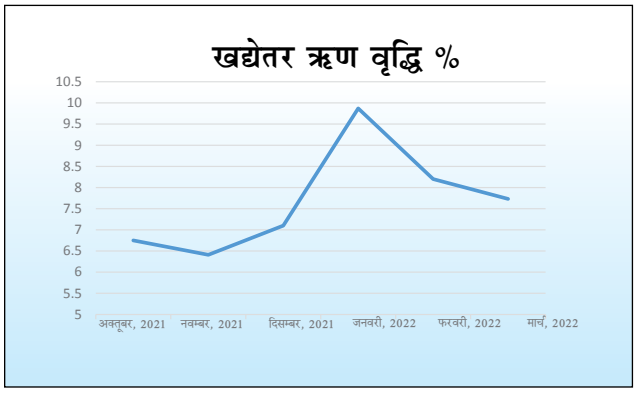

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समशोधन निगम लिमिटेड, मार्च, 2022

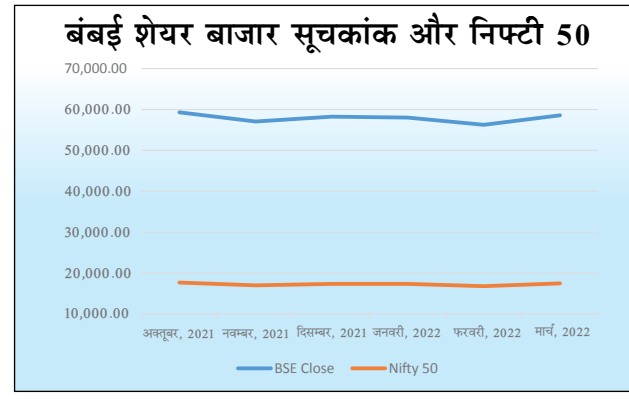

स्रोत : बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

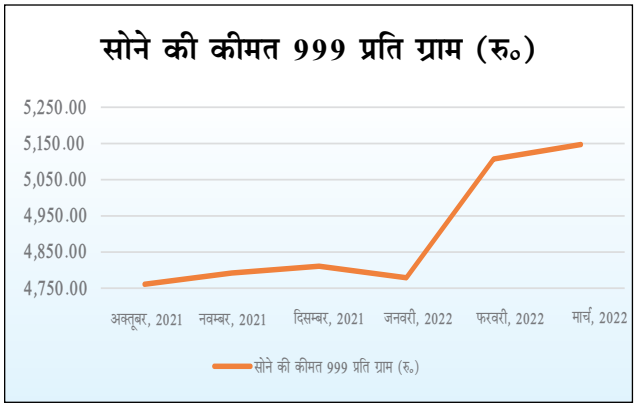

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

बिश्व केतन दास द्वारा मुद्रित, बिश्व केतन दास द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई - 400 070 से प्रकाशित।
संपादक : बिश्व केतन दास

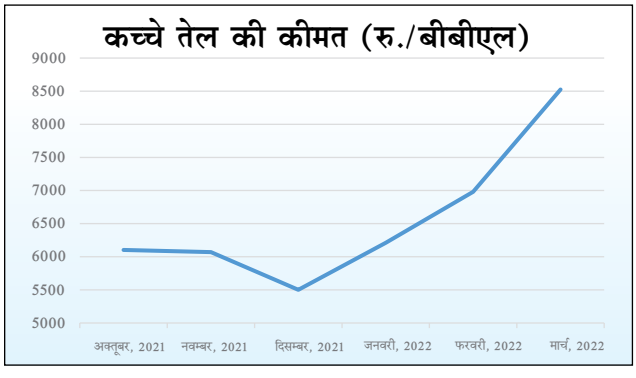

स्रोत: पीपीसीए, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स

कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22-6850 7000
फैक्स : 91-22-2503 7332
वेबसाइट : www.iibf.org.in